2016/00046

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 13/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भीमाराम पुत्र सवाईजी जाति नाई निवासी करमावास तहसील समदड़ी		1.सरपंच ग्राम पंचायत सावंरडा तहसील समदड़ी 2.महेन्द्रसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूति ठिकाना राजपुतों का वास भूति तहसील सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 निरस्त करने पट्टा संख्या 54 दिनांक 21.10.2012 जो ग्राम पंचायत, सावंरडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1. श्री सुनील के.मेराजा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री छैलसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 08.08.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 महेन्द्रसिंह ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सावरडा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम सावरडा की आबादी भूमि में उसका पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान 1950 वर्ग फीट का आया हुआ है,जिसका पट्टा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये नियमानुसार पट्टा जारी करावें। इस पर ग्राम पंचायत सावरडा ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थी संख्या 02 महेन्द्रसिंह के नाम नियम 157(ख) के तहत पट्टा संख्या 54 दिनांक 21.10.2012 को जारी किया। प्रार्थी का यह कथन है कि उसके स्वामित्व एंव पैतृक कब्जा सुद रहवासी परिसर प्लोट भूति गांव के चौराहे पर आया हुआ है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत से मिलकर अपने नाम नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा बनवा लिया। इस पट्टा विलेख को अपने स्वामित्व, आधिपत्य एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सावंरडा से पट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया।
3. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया,फलस्वरूप अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया।

जिला कलक्टर
बाडमेर

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी के पैतृक कब्जे का रहवासी परिसर प्लोट भूति गांव के चौराहे पर 39X50 फीट का आया हुआ है जिसके पाड़ोस पूर्व में भीमसिंह पुत्र देवजी राजपुरोहित का वास,पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा,उतर में राणसिंह पुत्र जबरसिंह का मकान व दक्षिण में रास्ता व दरवाजा स्थित है। जिस पर प्रार्थी का पिछले 60 वर्षो से पुश्तैनी कब्जा व मकान बना हुआ है। मौके पर विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा एंव पुराना रहवास है। प्रार्थी ने अपने रहवास हेतु एक सीमेंट की ईटों का कमरा बना रखा है। विवादित परिसर निगरानीकर्ता का पैतृक था जिस बाबत सावंरड़ा गांव के पूर्व सरपंच खीमदान चारण ने प्रार्थी के पक्ष में कब्जा एंव अनापत्ति प्रमाण पत्र ज़ारी कर रखा है, जिसमें उन्होंने विवादित परिसर पर निगरानीकर्ता के भाई हीराराम का कब्जा होना बताया था तथा विवादित परिसर के सम्बन्ध में दिनांक 02.01.1966 को ग्राम पंचायत सांवरडा में गृह कर के रूप में 01 रूपया जमा करवाने की रसीद निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी की है। प्रार्थी से पूर्व विवादित परिसर पर उसके भाई हीराराम का कब्जा व रहवास होने से पंजीबद्ध वसीयत द्वारा दिनांक 04.04.2003 को प्रार्थी के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित करते हुए विवादित परिसर का प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द कर दिया जिस पर आज दिन तक निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी भूति गांव का स्थायी निवासी है, जिसका पैतृक खातेदारी भूमि मौजा भूति में आई हुई है। जिससे भी निगरानीकर्ता का गांव मे भूखण्ड होना स्थापित है। अप्रार्थी संख्या 02 गांव का जागीरदार तथा प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण अपने प्रभाव का गलत प्रयोग करके ग्राम पंचायत से मिली भगत करते हुए प्रार्थी की भूमि पर पंचायती राज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमो की पूर्ण पालना किये बिना पट्टा जारी करवाया हैं। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या 02 को बिना किसी कब्जे के अवैध व अनुचित तरीके से पट्टा दिया गया है, जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 का कोई कब्जा या रहवास नहीं है। प्रार्थी की भूमि को हड़पने की नीयत के लिये कुटरचित दस्तावेज़ बनाकर फर्जी पट्टा बनाने की कार्यवाही की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उन्होंने तर्क दिया कि जिस व्यक्ति का मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा हो उसको नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी किया जाता है,जबकि वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का कोई कब्जा,मकान आदि बने हुए नहीं है गांव आबादी में पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत एक व्यक्ति को एक ही पट्टा जारी हो सकता है। अप्रार्थी महेन्द्रसिंह के नाम ग्राम पंचायत सावंरडा ने पट्टा संख्या 10 दिनांक 20.08.2003 को जारी किया गया। इसलिये अप्रार्थी संख्या 02 दुबारा विवादित पट्टा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 25/ जमा नहीं करवाये है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में भूमि का विवरण अंकित नहीं किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मौका गठन नहीं किया है जो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी है वह निर्धारित प्रपत्र. में नहीं है। रिपोर्ट में निर्मित मकान का उल्लेख नहीं है। आपतियां आमंत्रित करने हेतु ग्राम पंचायत ने जो नोटिस जारी किया है,उस नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है यह स्पष्ट नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ने पुराना कब्जा मानते हुए अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी किया है जबकि नियम 157(ख) के तहत 50 वर्षो से अधिक पूर्व निर्मित मकानो के पट्टे जारी किये जा सकते है। जबकि पुराना मकान होने का कोई साक्ष्य नहीं है। ग्राम पंचायत सावंरडा ने नियम 145 से 157 की पालना नही कर निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना प्रार्थी की भूमि पर दिनांक 21.10.2012 को पट्टा जारी किया है,जो नियम विरूद्ध एंव गलत होने से खारिज किया जाए।

5. अप्राथी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी या उसके भाई हरिराम का कोई भूखण्ड नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी करते वक्त तमाम प्रावधानो एंव नियमो की पालना कर पट्टा जारी किया गया है। उन्होने तर्क दिया कि अप्रार्थी ने अपने कब्जा सुदा का भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत सावंरडा के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नियमानुसार शुल्क जमा करवा कर,मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो की कमेटी गठित कर सही पाये जाने पर एक माह की आपतियां आमंत्रित की गई एंव नोटिस चस्पा किया गया। यदि प्रार्थीगण की भूमि होती तो उसी समय उजरदारी पेश करते मगर कोई उजरदारी पेश नहीं की। उजरदारी पेश नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा बाद मौका कमेटी की अनुशंषा के आधार पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर समस्त विधिक प्रकिया का पालना करते हुए नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है। जारी पट्टा पर ग्राम सेवक व सरपंच के हस्ताक्षर है। जारी पट्टा पर बिजली कनेक्शन लिया हुआ है और अप्रार्थी की भूमि होने के सम्बन्ध में राणसिंह पुत्र जबरसिंह राजपूत निवासी भूति ने शपथ पत्र एंव पूर्व सरपंच सावंरडा आमसिंह ने अप्रार्थी महेन्द्रसिंह का निजी पुश्तैनी रहवासी कब्जा सुदा भूखण्ड होने का प्रमाण पत्र जारी किया है।उन्होने तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थी की भूमि होने एंव उस पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त भूखण्ड अपने भाई हरिराम से जरिये वसीयत लेना बताया है जबकि हरिराम के नाम भूमि का पट्टा होने का कोई साक्ष्य नहीं है इस नाम एंव लोकेशन का अप्रार्थी को पट्टा जारी नहीं किया है। प्रार्थी वसीयत की आड में अप्रार्थी की भूमि पर काबिज होना चाहता है प्रार्थी एंव उसके उसके भाई हरिराम इस भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई स्वामित्व भी हासिल नहीं है जिसमे प्रार्थी का कोई स्वामित्व एंव हितबद्ध नहीं होने से प्रार्थी को निगरानी पेश करने की लोकस् स्टेण्डी नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आशय से अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध प्रथम सूचना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रिपोर्ट नम्बर 102/2013 दर्ज करवाई, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस थाना समदड़ी द्वारा सम्पूर्ण मामले को झूठा मानते हुए एफ.आर.दी गई है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व सारी कार्यवाही विधिवत रूप से पूर्ण जमा कर पट्टा जारी किया है जो सही एंव न्यायोचित है। पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता नहीं बरती है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। निगरानी पत्रावली, ग्राम पंचायत सांवरडा से प्राप्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सांवरडा ने अप्राथी संख्या 02 के हक में नियम 157(ख) के तहत 1950 वर्ग फीट भूमि के पट्टा संख्या 54 दिनांक 21.10.2012 को खारिज करने हेतु प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25/'रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/–जमा कराने चाहिये। मगर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा राशि जमा करवाने का कोई साक्ष्य पंचायत की पत्रावली में नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लॉज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगीं। पत्रावली पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नहीं है और मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भूखण्ड पर अप्रार्थी का कितने वर्षो से कब्जा है एंव अप्रार्थी संख्या 02 का मकान बना हुआ है इसका भी अंकन नहीं किया गया है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्ररूप 2 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थीं। इन मामलों में दिनांक 05.08.2012 को नोटिस जारी किया गया है, मगर नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है इसका अंकन नोटिस पर नहीं है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को यह पट्टा नियम 157(ख) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जारी करना बताया है। नियम 157(ख) पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत इन नियमो के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है। मगर मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मकान निर्मित होना और पुराना मकान होना नहीं बताया है। नियम 168 (1) के अनुसार समस्त विक्रयों का जिनके लिये पट्टे जारी किये जाये,अभिलेख पंचायत द्वारा प्ररूप में रखी गयी पट्टा बही में रखा जायेगा। उप नियम(2) के अनुसार पंचायत,सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में पट्टा बही की एक प्रति अग्रेषित करेगी और उप नियम(3) के अनुसार

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत समिति पट्टो को अपने स्तर पर तीन प्रतियो में मुद्रित करायेगी। ऐसे सभी पट्टों पर पुस्तक संख्या तथा कम संख्या अंकित की जायेगी तथा पट्टे की पहली परत आवंटिती को जारी की जायेगी,दूसरी परत पंचायत समिति कार्यालय में रखी जायेगी और तीसरी परत रिकॉर्ड के लिये पंचायत समिति में भेजी जायेगी। मगर ग्राम पंचायत ने जारी पट्टा की कोई प्रति साक्ष्य के रूप में पेश नहीं की है और न ही पट्टा बही उपलब्ध करायी है। इससे प्रकट है कि नियम 157(ख) के विपरित पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सांवरडा की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि नियम 145 से 157(ख) एंव 167 की पूर्ण पालना नहीं की गयी है एंव निर्धारित प्रकिया को अपनाऐं एंव जॉच किये बिना ही नियम 157(ख) के प्रावधान के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 54 दिनांक 21.10.2012 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सांवरडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 महेन्द्रसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 54 दिनांक 21.10.2012 निरस्त किया जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर